सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

नजरसानी प्रकरण सं0 01/2015

1. प्रेमचन्द
2. रामेश्वरलाल
3. सुमित्रादेवी
4. रामेश्वरीदेवी

} पिसरान मनीराम पुत्र जालूराम (मृतक) जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर

अप्रार्थी

नजरसानी विरूद्व आदेश अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर दिनांक 08.10.2015

उपस्थित : 1. संदीप ढाका, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता ,

आदेश दिनांकः 17.04.2018

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' प्रार्थी का इन्तकाल दिनांक 19.05.1994 खारिज के विरूद्व अपील प्रस्तुत की थी, जिसमें यह कथन अंकित किया गया था कि इन्तकाल संख्या 13 चक 30 एन.पी. के मु0न0 17, पत्थर नम्बर 204/312 के 8 बीघा रकबा का जो इन्तकाल इस आधार पर खारिज कर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, जबकि मौजूदा केस में कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं हुआ, कोई स्थगन आदेश का नम्बर नहीं है, और ना ही तारीख है। इसलिए जो इन्तकाल खारिज किया गया है, उसको निरस्त करके अपील स्वीकार कर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिया जावे। अदालतवाला ने इस आधार पर अपील खारिज कर दी कि अपीलान्ट द्वारा कोई स्थगन आदेश के बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया गया जबकि यह उत्तरदायित्व रेस्पोडेन्ट का था कि वो स्थगन आदेश के आधार पर जो इन्तकाल खारिज किया गया है, उस स्थगन आदेश की प्रति पेश करता। यह भार स्टेट का था, लेकिन अधिनस्थ अदालत ने इस पर कोई गौर नहीं किया। इस बिन्दु पर पुनः विचार करके आदेश पारित किया जाना इन्साफ की दृष्टि से अवश्यक है। वादग्रस्त रकबा अपीलान्ट को अलाटमेन्ट सन् 1977 में हो गया जिसकी तमाम किश्ते जमा हो गयी, जिसकी सनद नम्बर 054406 भी जारी हो गयी। जब सनद जारी हो गयी तो उस रकबा का इन्तकाल दर्ज किया जाना इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है, लेकिन अधिनस्थ अदालत ने इस पर गौर नहीं किया और अपील खारिज करने में सख्त गलती की है, जिस पर पुर्नविचार किया जाना न्याय की दृष्टि से आवश्यक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

है। अदालतवाला द्वारा जो आदेश दिया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट ने कोई सारवान सबूत पेश नहीं किया, अपीलान्ट ने अपने अलाटमेंन्ट के बारे में दस्ताावेज प्रस्तुत कर दिये, किश्ते जमा करवाने के सबूत पेश कर दिये और सनद की नकल पेश कर दी लेकिन इस पर अदालतवाला ने कोई गौर नहीं किया गया (ऐपरेन्ट फेस ऑफ रिकार्ड है) जिस पर गौर किया जाना आवश्यक है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र धारा 86 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मन्जूर कर अदालतवाला का आदेश 08.10.2015 पर पुनः गौर करते हुए दिनांक 19.05.1994 के आदेश को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम इन्तकाल करने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने नजरसानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना अपीलकृत इंतकाल संख्या 13 खारिज किया गया है। विवादित रकबे के बारे में किसी कोर्ट का स्थगन नहीं है। श्रीमान न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 08.10.2015 से माननीय न्यायालय का स्थगन होना माना जाकर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई है जबकि स्थगन के सम्बन्ध में सबूत पेश करना अधिनस्थ न्यायालय उत्तरदायित्व है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदलतवाला का आदेश दिनांक 08.10.2015 पर पुनः गौर करते हुए दिनांक दिनांक 19.05.1994 के आदेश को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम इन्तकाल करने का आदेश दिया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन के आधार पर अपीलकृत आदेश इन्तकाल खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। अदालतवाला का आदेश दिनांक 08.10.2015 विधिसम्मत पारित किया गया है। अतः प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलकृत इंतकाल सख्या 13 खारिज किया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे प्रगट होता हो कि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। अतः प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है एवं अदालतावाला का आदेश दिनांक 08.10. 2015 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 17.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।